परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 13 मार्च, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3(10)/67–ट्रांसपोर्ट में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 145968]

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं जो दिनांक 18 मई, 1968 तक भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 894 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1460/68]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER

प्रधान मंत्री की सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया की हाल की यात्रायें

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सम्बन्धित मित्र सरकारों के प्रधानों से निमंत्रण मिलने पर मैंने 19 मई से लेकर 1 जून तक सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा मलयेशिया की यात्रा की। जिस सद्भावना और सहृदयता से वहां की सरकारों और जनता ने हमारा स्वागत किया उससे भारत के प्रति उनकी सद्भावना और मित्रता झलकती है।

मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य इन देशों के प्रमुख नेताओं के साथ निजी सम्पर्क स्थापित करना, उनके साथ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और पारस्परिक हित के मामलों पर विचार विमर्श करना था। इस यात्रा से हमें परस्पर सम्बन्धों को दृढ़ करने, अपनी समस्याओं, अपनी नीतियों, अपने प्रयत्नों और उपलब्धियों के समुचित ज्ञान को बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त हुआ, मैं सोचती हूं कि मैं उनकी कुछ उन धारणाओं को भी ठीक कर सकी हूं जो कि अभी कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक और अन्य कुछ कठिनाइयों के कारण उनके मन में उत्पन्न हो गई थी। मेरे साथ जो अधिकारी आये थे उन्होंने उन सरकारों के अपने समकक्ष के अधिकारियों के साथ आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया।

मैंने इण्डोनेशिया, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड, मलयेशिया तथा सिंगापुर से अपने दूतावासों के प्रधानों को परामर्श के लिये क्वालालम्पुर में बुलाया, उन्होंने इन देशों की स्थिति, इनकी विचार-धारा, वर्तमान समस्याओं तथा हमारे विकासशील पारस्परिक सम्बन्धों का प्राथमिक मूल्यांकन किया, मुझे सभा को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इन देशों के साथ और अन्य दूसरे

देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं और अधिक दृढ़ हो रहे हैं। भारत के लिये बड़ी सद्भावनायें हैं और यह मान्यता दी जाती है कि उसकी हाल की कठिनाइयों के बावजूद भी वह एक बड़ा शक्तिशाली और शान्तिप्रिय लोकतन्त्र है। मुझे यह जानकारी दी गई कि आर्थिक प्रयासों में भारतीय सहयोग तथा साझेदारी का स्वागत किया जायेगा।

हम अपने व्यापार को बढ़ाने तथा तकनीकी सहयोग का विकास करने की सम्भावनाओं पर विचारविमर्श कर रहे हैं। मलयेशिया का एक शिष्टमंडल हमारे पास आ चुका है। अन्य शिष्टमंडलों के आने की उम्मीद है।

सभा इस बात से अवगत है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में से बहुत से लोग इनमें से कुछ देशों में रहते हैं। 10 लाख से अधिक लोग मलयेशिया और सिंगापुर में रहते हैं। इनमें से अधिकांश लोग वहां के नागरिकों के रूप में वहां बस गये हैं और वे इन देशों के कल्याण और विकास में सहयोग दे रहे हैं। इन दो देशों की सरकारों के नेताओं ने मुझे आश्वासन दिलाया कि भारतीय मूल के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। उनकी कुछ समस्यायें अवश्य हैं जो इन परिस्थितियों में असाधारण नहीं हैं। सब की सद्भावनायें मिलने पर ये कठिनाइयां अपराजेय नहीं होनी चाहियें।

ये देश अपने क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों के सम्भावित आर्थिक तथा राजनैतिक परिणामों के बारे में चिन्तित थे। स्वाभाविक रूप से, हम दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में रुचि रखते हैं जिसमें हम शान्ति, सहयोग तथा सम्पन्नता का स्थायित्व चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा तथा इसका भविष्य इन देशों की स्थिरता, विकास तथा तीव्र आर्थिक विकास पर निर्भर करता है।

हम इन देशों तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सब से अधिक महत्व देते हैं। सौभाग्यवश उनके साथ हमारे बहुत निकट के सम्बन्ध हैं और इन सम्बन्धों को दृढ़ करने का हमारा प्रयास सतत् रहेगा जो कि पारस्परिक सहयोग तथा एक दूसरे की स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान पर आधारित है।

Shri Rabi Ray (Puri): There should be a discussion on it. There should be a discussion on foreign policy.

अध्यक्ष महोदय: कुछ सदस्यों ने इस विषय में लिखा है। मैं सोचता हूं वहां बैठे हुए उन सदस्य महोदय ने भी इस विषय में कल लिखा था। उन्होंने प्रधान मंत्री महोदया को भी बता दिया है। अब डा० राम सुभग सिंह को सुनें। वह अगले सप्ताह के कार्य के बारे में हमको कुछ बताने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या वह इसके लिए भी कुछ समय दे सकते हैं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): श्रीमन्, 29 जुलाई, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य-सूची से आगे ले जाये गये सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार;